

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/जिला/2017-18 जयपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

जिला कलक्टर,  
समस्त, राजस्थान।

Most Imp.

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों को 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण करने एवं वर्ष 2017-18 की स्वीकृति जारी करने बाबत।


**प्रसंग :-** विभागीय क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-1/2017-18 दि 11 मई, 17 एवं विभागीय पत्र दिनांक 27.10.2017

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित "राजविकास" वीडियों कॉफ्रेंस दिनांक 23.09.2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत दिनांक 11 मई, 2017 द्वारा आवंटित माहवार लक्ष्यानुसार प्रगति नहीं होने के परिपेक्ष्य में वर्ष 2016-17 के आवासों को 30 अक्टूबर, 2017 तक एवं वर्ष 2017-18 के आवासों को माह फरवरी, 2018 तक पूर्ण कराने के लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2016-17 व 2017-18 के 4.73 लाख लक्ष्यों के विरुद्ध 3.61 लाख को प्रथम किश्त, 2.06 लाख को द्वितीय किश्त जारी कर 51,439 आवास पूर्ण कराये गये। उक्तानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना में प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर 30 नवम्बर, 2017 तक वर्ष 2016-17 के आवासों को पूर्ण कराने हेतु प्रासंगिक पत्र दिनांक 27.10.2017 द्वारा पुनः संशोधित साप्ताहिक लक्ष्य आवंटित कर विशेष अभियान सम्पादित कराकर लक्ष्य अर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया।

योजना के दिशा-निर्देशानुसार 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल का आवास का सामान्यतः 3 से 4 माह में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकता है, यदि लाभार्थी को समय-समय पर आवश्यक मार्ग-दर्शन, सहयोग व योजनान्तर्गत देय किश्तों का भुगतान समय पर हो। योजनान्तर्गत तृतीय/अन्तिम किश्त का भुगतान आवास की छत का कार्य, दरवाजे, खिडकी, लोगो के पूर्ण होने पर किया जाना है। लाभार्थियों को किश्तों का भुगतान उनके बैंक खातों में PFMS प्रणाली से किया जाता है। शौचालय निर्माण हेतु देय अनुदान स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दिशा-निर्देशानुसार दिया जाना है। विभाग के ध्यान में लाया गया कि कुछ लाभार्थियों को PFMS प्रणाली/अन्य बैंक सम्बन्धित समस्याओं के कारण भी योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। अतः उक्त सम्बन्ध में लाभार्थी के बैंक खाते तक देय अनुदान राशि हस्तान्तरण की भी बैंकों के साथ साप्ताहिक समीक्षा की जावे।


अतः उक्त सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विशेष अभियान के दौरान वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के विरुद्ध शत प्रतिशत आवासों की स्वीकृति व प्रथम किश्त दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तक आवश्यक रूप से जारी कराकर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें अन्यथा 15 नवम्बर, 2017 तक स्वीकृति/प्रथम किश्त जारी नहीं होने पर शेष लक्ष्यों को अन्य जिलों को आवंटित कर दिये जायेंगे, जिसके लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/आयुक्त, जिला समस्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
8. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) / 1/10/18



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-2/2017-18 जयपुर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

जिला कलक्टर,  
समस्त, राजस्थान।

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।


**प्रसंग :-** विभागीय क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-1/2017-18 दि 11 मई, 17

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत आवासों को समय पर पूर्ण करने हेतु प्रसांगिक पत्र द्वारा माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये थे। आवंटित लक्ष्यानुसार जिलों की प्रगति मात्र 18 प्रतिशत है। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 के स्वीकृत आवासों को माह अक्टूबर, 2017 तक प्रथम किशत जारी कर माह फरवरी, 2018 में पूर्ण करवाये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अधिकांश जिलों की प्रगति बहुम कम है, जो कि खेदजनक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित "राजविकास" वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 23.09.2017 में योजनान्तर्गत कम प्रगति के परिपेक्ष्य में स्वीकृत आवासों को लक्ष्यानुसार पूर्ण कराने एवं वर्ष 2017-18 की स्वीकृति 30 नवम्बर, 2017 तक जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सम्बन्ध में व्हाट्सएप ग्रुप पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रतिदिन प्रगति अर्जित करने हेतु निर्देशों के उपरान्त भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

अतः प्रासंगिक लक्ष्यों के क्रम में संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार संशोधित साप्ताहिक लक्ष्य आवंटित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना में 30 नवम्बर, 2017 तक वर्ष 2016-17 के आवासों को पूर्ण कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. प्रत्येक पंचायत समितियों हेतु उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में ब्लॉक पर कार्यरत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के मध्य ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर प्रभारी बनाया जावे।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत के समूह हेतु नामित नोडल अधिकारी की देख-रेख में समस्त जेटीए/कनिष्ठ अभियन्ता/पंचायत प्रसार, प्रगति अधिकारी/ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत/कनिष्ठ लिपिक को टैग अधिकारियों नियुक्त किया जावे।
3. अभियान के रूप में 2016-17 के आवासों की तृतीय किशत हेतु जिओं-टैगिंग एवं वर्ष 2017-18 के आवासों की बकाया प्रथम किशत जारी/कार्य प्रारम्भ कराने एवं निर्माणाधीन आवासों की द्वितीय/तृतीय किशत की जिओं-टैगिंग का कार्य सम्पादित कराया जावे।
4. नवीन स्वीकृत आवासों की सम्बन्धित टैग अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/जेटीए से तीन दिवस में आवश्यक रूप से निरीक्षण कराकर आवासों का ले-आउट देकर कार्य प्रारम्भ कराया जावे।
5. पंचायत समिति/क्लस्टर पंचायत पर नवम्बर 2017 के प्रथम व तृतीय सप्ताह में लाभार्थियों की कार्यशाला आयोजित कराकर कार्यशाला के दौरान मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने के साथ-साथ आगामी किशत के FO जारी कराये जावे।

संलग्न

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव



**PMAY-G 2016-17**

**Weekly target for completion**

SN	District	Sanc.	Complete	Incomp.	Upto 31 Oct	Upto 7 Nov	Upto 15 Nov	Upto 22 Nov	Upto 30 Nov
1	AJMER	2532	1022	1510	453	302	302	302	151
2	ALWAR	1641	310	1331	399	266	266	266	133
3	BANSWARA	53879	5935	47944	14383	9589	9589	9589	4794
4	BARAN	5986	473	5513	1654	1103	1103	1103	551
5	BARMER	12791	602	12189	3657	2438	2438	2438	1219
6	BHARATPUR	2156	320	1836	551	367	367	367	184
7	BHILWARA	9557	5928	3629	1089	726	726	726	363
8	BIKANER	4952	892	4060	1218	812	812	812	406
9	BUNDI	3915	448	3467	1040	693	693	693	347
10	CHITTORGARH	9241	1258	7983	2395	1597	1597	1597	798
11	CHURU	1396	336	1060	318	212	212	212	106
12	DAUSA	2070	413	1657	497	331	331	331	166
13	DHOLPUR	2468	802	1666	500	333	333	333	167
14	DUNGARPUR	18887	789	18098	5429	3620	3620	3620	1810
15	HANUMANGARH	4630	3443	1187	356	237	237	237	119
16	JAIPUR	2256	727	1529	459	306	306	306	153
17	JAISALMER	3095	1136	1959	588	392	392	392	196
18	JALORE	12531	1623	10908	3272	2182	2182	2182	1091
19	JHALAWAR	8271	1031	7240	2172	1448	1448	1448	724
20	JHUNJHUNU	462	212	250	75	50	50	50	25
21	JODHPUR	11543	1237	10306	3092	2061	2061	2061	1031
22	KARALI	4607	267	4340	1302	868	868	868	434
23	KOTA	5195	1349	3846	1154	769	769	769	385
24	NAGOUR	4993	2808	2185	656	437	437	437	219
25	PALI	12166	6108	6058	1817	1212	1212	1212	606
26	PRATAPGARH	6913	314	6599	1980	1320	1320	1320	660
27	RAJSAMAND	2209	47	2162	649	432	432	432	216
28	SMADHOPUR	3135	400	2735	821	547	547	547	274
29	SIKAR	673	339	334	100	67	67	67	33
30	SIROHI	3691	445	3246	974	649	649	649	325
31	SRI GANGANAGAR	5642	2727	2915	875	583	583	583	292
32	TONK	5316	410	4906	1472	981	981	981	491
33	UDAIPUR	21274	1122	20152	6046	4030	4030	4030	2015
	<b>Total</b>	<b>250073</b>	<b>45273</b>	<b>204800</b>	<b>61440</b>	<b>40960</b>	<b>40960</b>	<b>40960</b>	<b>20480</b>

*Handwritten signature and date: 25/11/17*